विद्यालयों में महिला शिक्षकों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल और समान अवसर

Gender Neutrality एवं आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के गठन पर आधिकारिक दिशा-निर्देश

पत्रांक- 2299 (बिहार सरकार, शिक्षा विभाग) के आलोक में।

https://teachersofbihar.org/

दृष्टिकोण एवं नीतिगत आधार

> “कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण तथा उनके लिए ‘Gender Neutrality’ लाना का सरकार के मूल उद्देश्यों में से एक है।



कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013



बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग संकल्प (ज्ञापांक 17903, दिनांक 29.12.2014)



भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का समेकित कार्यालय ज्ञापन (दिनांक 04.11.2022)

https://teachersofbihar.org/

सशक्तिकरण एवं सुरक्षा के तीन प्रमुख स्तंभ

विद्यालयों में लेडी टीचर्स (Lady Teachers) के बेहतर योगदान हेतु सामान्य दिशा-निर्देशों की रूपरेखा:



https://teachersofbihar.org/

स्तंभ 1: कार्यस्थल पर सम्मानजनक व्यवहार और समान अवसर



- **आदरपूर्ण आचरण:** सभी महिला कर्मियों/शिक्षिकाओं के साथ सर्वदा 'Respectfully' व्यवहार सुनिश्चित किया जाए।
- **समान अवसर:** महिलाओं को पढ़ाने के कार्य में पुरुषों के समान अवसर (Equal Opportunity) प्रदान किए जाएं।
- **सुरक्षित परिसर:** स्कूल परिसर में महिलाओं से किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार (Misbehavior) पूर्णतः वर्जित है।
- **भेदभाव मुक्त वातावरण:** संविधान के अनुच्छेद-14 की मूल भावना के आलोक में उनके साथ किसी भी प्रकार का 'Discrimination' नहीं किया जाएगा।

https://teachersofbihar.org/

स्तंभ 2: विद्यालयीन गतिविधियों में शिक्षिकाओं की सहभागिता

सुरक्षा एवं मेंटरशिप

- बच्चियाँ महिला शिक्षकों के समीप अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं; अतः महिला शिक्षिका ही उनकी 'Mentor' होंगी।

अभिभावक संवाद

- PTM में आने वाली माताओं के साथ महिला शिक्षक Interact करके बच्चों के शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक विषयों पर चर्चा करेंगी।

सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय आयोजन

- प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा के बाद Extra-Curricular Activities के लिए प्रोत्साहन।
- राष्ट्रीय पर्वों (26 जनवरी, 15 अगस्त, 5 सितम्बर) के कार्यक्रमों एवं सामाजिक कार्यों में योगदान हेतु Include किया जाएगा।

https://teachersofbihar.org/

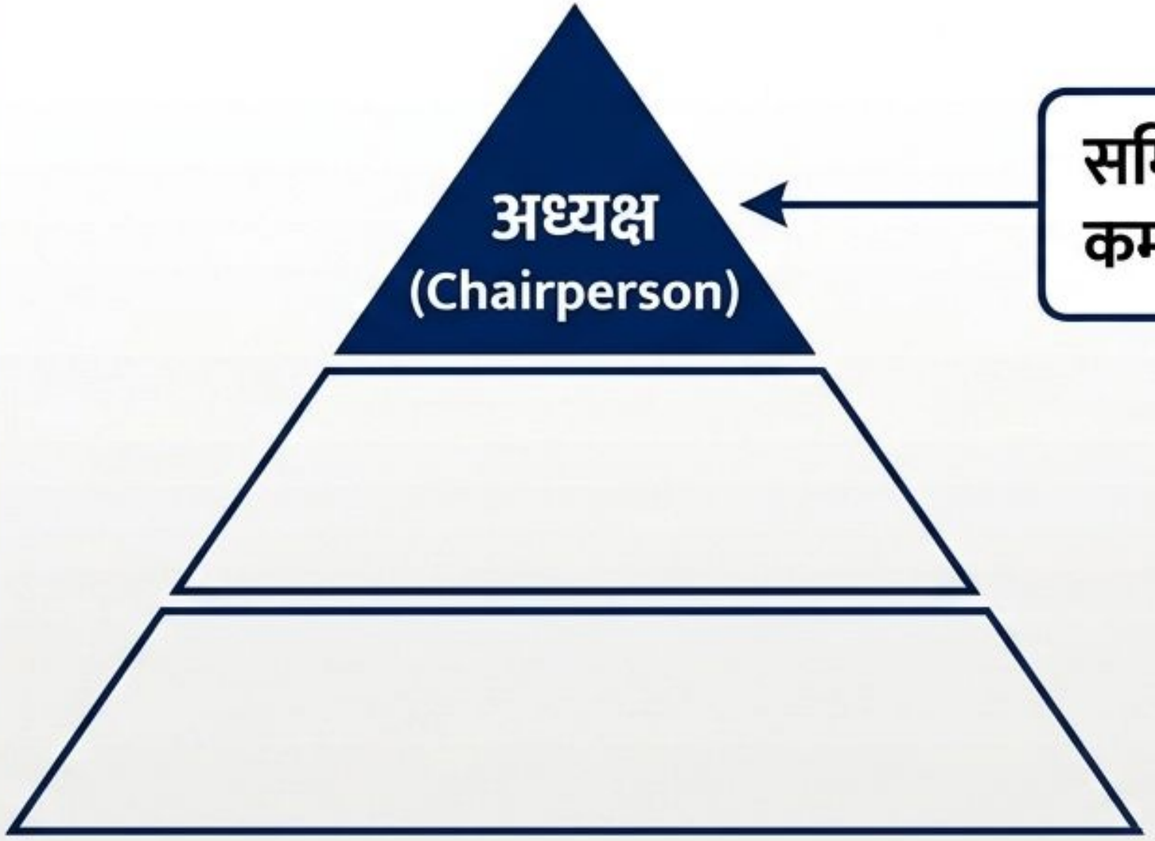
सुरक्षित वातावरण के लिए कानूनी ढांचा

केवल दिशा-निर्देश पर्याप्त नहीं हैं। महिलाओं की पूर्ण सुरक्षा और शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) सुनिश्चित करने के लिए 2013 के अधिनियम के तहत एक मजबूत संस्थागत तंत्र अनिवार्य है।

परिचय: आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee - ICC)

आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन

महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी कार्यालयों/विद्यालयों में ICC गठन का प्रावधान (2013 के अधिनियम के तहत)।



समिति की अध्यक्ष विद्यालय की वरीयतम महिला कर्मी (Senior-most female employee) होंगी।

अपवाद (Exception): यदि वरीयतम महिला कर्मी पर कोई विभागीय कार्यवाही संचालित है, तो इसके अतिरिक्त वरीयता के आलोक में अगली महिला अध्यक्ष बन सकेंगी।

https://teachersofbihar.org/

शिकायत एवं निवारण प्रक्रिया

Step 1: घटना (Incident)

किसी महिला कर्मी/स्कूल शिक्षिका के साथ गलत व्यवहार।

Step 2: शिकायत दर्ज करना

अधिनियम की धारा-9 के तहत।
घटना के
90 दिनों के अंदर
लिखित रूप में ICC के अध्यक्ष को शिकायत पत्र दायर करना।

Step 3: निष्पक्ष जाँच

अधिनियम की धारा-7 के तहत।
ICC द्वारा प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बाद जाँच।
जाँच 'Principles of Natural Justice' (प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत) के अनुसार की जाएगी।

Step 4: दंडात्मक अनुशंसा

नियुक्ति प्राधिकार को रिपोर्ट सौंपना।

https://teachersofbihar.org/

विधिक परिणाम एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई



कारण (Cause)

महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करना 'Conduct Unbecoming of Government Servant' (सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल) माना जाएगा।

परिणाम (Effect)

इस कृत्य को पूर्णतः 'Misconduct' (कदाचार) माना जाएगा। इसके आधार पर नियुक्ति प्राधिकार (Appointing Authority) द्वारा कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

https://teachersofbihar.org/

सक्षम प्राधिकार एवं अनुपालन मैट्रिक्स

	प्राधिकारी (Authority)	भूमिका एवं अधिकार (Role & Mandate)
1	जिला पदाधिकारी (District Magistrate)	सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं० 15053 (08 नवम्बर 2016) के अनुसार, अपने जिला अधीनस्थ सभी मामलों के लिए अधिनियम की धारा-5 के अंतर्गत 'सक्षम प्राधिकार' (Competent Authority) घोषित।
2	जिला शिक्षा पदाधिकारी (District Education Officer)	इन सभी सामान्य दिशा-निर्देशों का विद्यालयों में कड़ाई से पालन (Strict Compliance) सुनिश्चित करने का अंतिम दायित्व।

https://teachersofbihar.org/

निष्कर्ष: एक सुरक्षित और सशक्त विद्यालय की ओर

- Gender Neutral और सम्मानजनक कार्यसंस्कृति का निर्माण अनुच्छेद-14 के अनुरूप।
- शिक्षिकाओं की मेंटरशिप, सांस्कृतिक आयोजनों और नेतृत्व को पूर्ण समर्थन।
- ICC के माध्यम से दुर्व्यवहार पर 'Zero Tolerance' और त्वरित न्याय।

"सुरक्षित शिक्षिका, सशक्त शिक्षा।"

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

— सी० के० अनिल,
अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार।

https://teachersofbihar.org/